संख्या– 575 /VI-2/2011–53(2)2010

(84)

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 14 नवम्बर, 2011

विषयः– **पंचायत युवा कीडा एवं खेल अभियान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1382/पायका–सेन्टर/10–11 दिनांक 19 अक्टूबर, 2011 एवं भारत सरकार के शासनादेश संख्या–F.No.5-16/MYAS/PYKKA/2010/1 दिनांक 10 मार्च, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के आयोजनागत पक्ष में पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान योजना के अन्तर्गत 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि ₹160.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष वर्तमान में ₹79.50 लाख (₹उन्नासी लाख पचास हजार) मात्र की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने है।

2– मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों/आदेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

4– धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की समय सारिणी

.....(2)

बनाकर ही आहरण किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

5– धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

6– भारत सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में स्वीकृत किये पूर्व के समस्त कार्यो को समयबद्ध ढंग से दिनांक 31–12–2011 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय एवं शत–प्रतिशत वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या शासन को भी प्रस्तुत की जाय।

7– धनराशि का आहरण बजट व्यवस्था की सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–0103–ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास (90 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) 24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–235(P)/XXVII(3)/2011-12 दिनांक 09, नवम्बर, 2011 में प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–575/VI-2/2011–52(2)2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/106 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. संयुक्त सचिव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य कोषाधिकरी, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।,
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. एन0आई0सी0, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।